भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

17.12.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2769 का उत्तर

आईआरसीटीसी ई-वॉलेट में जमा धन की निकासी

2769. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता द्वारा यूपीआई और अन्य भुगतान माध्यमों से रेल टिकटों की त्वरित बुकिंग के लिए भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ई-वॉलेट में जमा की गई धनराशि/राशि, टिकट रद्द होने के बाद भी उपभोक्ता के खाते में वापस नहीं आ पाती, जिसके कारण उनकी धनराशि लंबे समय तक अटकी रहती है और केवल टिकट बुक करते समय ही उसका उपयोग होता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का आईआरसीटीसी ई-वॉलेट में जमा धनराशि को उपभोक्ता के खाते या मूल स्रोत में वापस जमा करने की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है, जिससे उपभोक्ता का धन लंबे समय तक अटका न रहे और वे इस धनराशि का अन्यत्र उपयोग कर सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उपभोक्ता को उनके ई-वॉलेट में पड़ी निष्क्रिय राशि पर ब्याज लाभ प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ई-वॉलेट खाता, क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई (पूर्व भुगतान साधन) श्रेणी खाता का एक पूर्व-भुगतान वाला खाता है।

मौजूदा आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी उद्यम से जारी क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई खाता केवल विशिष्ट उद्यम से वस्तु और सेवाएं खरीदने की सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ ही, ऐसे खातों से कोई नकद आहरण की अनुमति नहीं है। इस खाते में जमा राशि का उपयोग केवल रेल टिकटों खरीद के लिए ही किया जा सकता है।

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मौजूदा और नए ई-वॉलेट उपयोगकर्ताओं के लिए, ई-वॉलेट खाता बंद होने पर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ई-वॉलेट की शेष राशि उपयोगकर्ता के बैंक खाते में वापस स्थानांतरित करेगा।
